

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर
"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर- 302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141- 2742309, ई-मेल jdp-ta-rj@nic.in)

क्रमांक: एफ-3(ख)/आर-292/90/अलेसे-11

दिनांक- 11.07.2018

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश दिनांक 08.06.2018 द्वारा श्री राजेश कुमार सोलंकी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय का स्थानान्तरण कार्यालय निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर से आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर में किया गया था किन्तु निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सोलंकी आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री राजेश कुमार सोलंकी को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि श्री सोलंकी नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल-jdp-ta-rj@nic.in /दूरभाष संख्या 0141-2744134 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

इसके अतिरिक्त श्री राजेश कुमार सोलंकी को निर्देश दिये जाते हैं कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक न किये जाने के सम्बन्ध में कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहे।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक: एफ-3(ख)/आर-292/90/अलेसे-11

दिनांक- 11.07.2018

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, उदयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. श्री राजेश कुमार सोलंकी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 कार्यालय निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
4. उपनिदेशक (ए.सी.पी), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


निदेशक